UPMB010024222022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, महोबा।

पीठासीन अधिकारीः–देवेन्द्र सिंह–प्रथम(उच्चतर न्यायिक सेवा)–**UP6554**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1172/2022

रामजी उर्फ नीलू उम्र 41 वर्ष पुत्र श्री अध्याशरण निवासी ग्राम जाफरगंज कटरा थाना जाफरगंज जिला फतेहपुर उ0प्र0। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। .....विपक्षी।

अ0सं0–291/2022
धारा–467, 468, 419, 420, 379, 411 भा0दं0सं0 एवं
धारा 4/21 खान एवं खनिज अधि0 1957 व
धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984
थाना–कबरई, जिला–महोबा।

17.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त रामजी उर्फ नीलू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–291/2022, अन्तर्गत धारा–467, 468, 419, 420, 379, 411 भा0दं0सं0 एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज अधि0 1957 व धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, थाना कबरई, जिला महोबा में जमानत हेतु जमानत आवेदन दिया है, जो यतेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये शपथपत्र से समर्थित है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है वादी मुकदमा राजेश कुमार, खनिज मोहर्रिर जनपद महोबा द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई, जिला महोबा के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 24.09.2022 को समय 11.19 ए.एम. पर खनिज जांच चौकी कानपुर रोड़ महोबा (कबरई) पर तैनात होमगार्ड राम गोपाल के साथ उसके द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। जांच के समय उपखनिज की स्टोन डस्ट भरी वाहन संख्या यू.पी. 78 जी.एन. 5117 को अवैध परिवहन के मामले में पकड़ा गया। वाहन चालक द्वारा जांच के समय प्रस्तुत ई–फार्म सी नं0–3179220499018900340 को स्कैन किया गया। स्कैन करने पर ई–फार्म सी स्क्रेन नहीं हुआ। तत्समय उक्त वाहन को थाना कबरई अन्तर्गत गल्ली मण्डी में खड़ी करा दी गई। वाहन चालक विमल कुमार से पूंछतांछ करने पर अवगत कराया गया कि गोलू शिवहरे उसकी गाड़ी लोड कर आता है। मे0 गर्गवंशी इंटर प्राइजेज ग्रेनाइट(क्रेशर) से वही बताता था कि अब रोड़ पर जाओं, तुम्हें दूसरा व्यक्ति रायल्अी देगा, जो दूसरा व्यक्ति रायल्अी देता था, उसका नाम राम जी उर्फ नीलू पुत्र अध्याशरण है। उसे नहीं पता था कि रायल्अी फर्जी है। तत्पश्चात उपरोक्त के द्वारा बिना वैध परिवहन प्रपत्र के चोरी–छिपे अवैध खनन/परिवहन कर आर्थिक लाभ लेते हुये राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है। अतः उपरोक्त के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

Digitally signed by Devendra Singh
Date: 2022.10.18 11:15:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया गया है कि वह निर्दोष है। उसका उक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। उसके द्वारा कोई भी प्रतिभूति बिल आदि की रचना नहीं की है, न ही छल का प्रयोजन करके कूटरचना की है, न ही किसी तरह का छल किया है, न ही छल करके कुछ परिवर्तित किया है, न ही कोई चोरी की है और न ही चुराई वस्तु की बरामदगी हुयी है। उसके द्वारा कभी भी किसी को कोई फर्जी रॉयल्टी नहीं दी गयी है और न ही उसके द्वारा फर्जी रॉयल्टी तैयार की गयी है। उसके द्वारा खनिज सम्पदा की कतई कोई चोरी नहीं की गयी है और न ही सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान किया है। कथित घटनास्थल से लगभग 150 किलोमीटर दूर जनपद फतेहपुर का रहने वाला है। उससे सह अभियुक्त विमल कुमार बुराई मानता है जिस कारण उक्त अभियुक्त ने उससे रॉयल्टी लेना बताया है। उक्त मुकदमे के सह अभियुक्त विमल कुमार की जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2022 को स्वीकृत की जा चुकी है। वह दिनांक 12.10.2022 से उपकारागार महोबा में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), महोबा द्वारा जमानत आवेदन पत्र पर निरस्त करने की याचना की गयी।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों को अवलोकन करने पर पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा वाहन संख्या यू.पी. 78 जी.एन. 5117 से अवैध खनिज परिवहन कराया जा रहा था। खनिज टीम द्वारा जांच के दौरान जो प्रपत्र प्रस्तुत किया गया वह फर्जी एवं कूटरचित था। उक्त प्रपत्र अभियुक्त द्वारा ही दिया जाना बताया गया है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त के विरूद्ध कथित अपराध की सत्यता मामले में विचारण का विषय है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का इस प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 12.10.2022 से उपकारागार महोबा में निरूद्ध है। इस स्तर पर मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रामजी उर्फ नीलू का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो जमानतदारों की जमानत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी संतुष्टि के अनुरूप दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(देवेन्द्र सिंह–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
महोबा।
17.10.2022